न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः— 56/2022
दायर दिनांकः— 03.06.2022
निर्णय दिनांकः— 26.07.2022

उनवान

1. श्री पुरण पिता हीरालाल जाट निवासी गुन्दली।
2. श्री प्रहलाद पिता हीरालाल जाट निवासी गुन्दली।
3. श्रीमती पारस पुत्री हीरालाल जाट निवासी गुन्दली
4. श्रीमती सीमा पुत्री हीरालाल जाट निवासी गुन्दली।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हीरालाल पिता चम्पालाल जाट निवासी गुन्दली।
2. श्री भैरूलाल पिता चम्पालाल जाट निवासी गुन्दली।
3. श्री प्रेमचंद पिता रूपलाल जाट निवासी गुन्दली।
4. श्रीमती भगु पुत्री हीरालाल जाट निवासी गुन्दली।
5. श्रीमती भुरीबाई पत्नी हीरालाल जाट निवासी गुन्दली।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार—बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा—128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा **गुन्दली** पटवार हल्का **गुन्दली** तहसील भूपालसागर की **आराजी संख्या 24 रकबा 3.36 हैक्टर** भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संध[illegible]ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित [illegible]सी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत त[illegible] होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.08.04 13:51:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक **26.07.2022** को खुले न्यायालय [illegible]सुनवाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौडगढ (राज.)